न्यायालय,समाहर्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या–99/2017–2018

अंदर धारा–58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) श्री विजय साह, पिता–स्व0 अजब लाल साह
ग्राम–इस्लामपुर आम बगान, थाना–इस्लामपुर,

(2) मो0 जानोसार अख्तर, पिता–इलियास अंसारी
सा0–हथकला इस्लामपुर
थाना–इस्लामपुर, जिला–उत्तर दिनाजपुर

(3) टाटा मैजिक निबंधन संख्या–WB59A-9182 के मालिक
जिला–...विपक्षी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019		

इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन ((पत्रांक 3240/हि0शा0,दिनांक 26.07.2017) के आलोक में अररिया थाना कांड संख्या–702/16, दिनांक 17.10.16, धारा–272/273/34 भा0द0वि0 एवं 30/38 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 में जब्त टाटा मैजिक रजिस्ट्रेशन संख्या–WB-59A9182, चेचीस संख्या–MAT445056CZF50623 एवं ईंजन संख्या–2751D10 6FXYSB6611 को राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। अररिया थाना कांड संख्या–702/16, दिनांक 17.10.16, के प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त–1. श्री विजय साह, पिता–स्व0 अजब लाल साह, ग्राम–इस्लामपुर आम बगान, थाना–इस्लामपुर, 2. मो0 जानोसार अख्तर, पिता–इलियास अंसारी, सा0–हथकला इस्लामपुर, थाना–इस्लामपुर, जिला–उत्तर दिनाजपुर 3. टाटा मैजिक निबधन संख्या–WB59A-9182 के मालिक के विरुद्ध कारण–पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

(2) दैनिक प्रभात खबर समाचार पत्र में दिनांक 24.02.2019 के माध्यम से सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी की ओर से आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी लगातार सभी निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरूप विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना।

(3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि पुलिस अवर निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, अररिया थाना एस0सी0/एस0टी0 थानाध्यक्ष चन्द्र किशोर टुड्डू टाईगर मोबाईल सिपाही 303 नवीन कुमार सिपाही 205 अब्दुल खालीफ सिपाही 241 संजय कुमार रजक एवं सिपाही 386 गौरी शंकर कुमार के साथ दिनांक 17.10.2016 को गश्ती के कम में समय करीब 03.00 बजे जीरो माईल अररिया में आपको टॉर्च जलाकर रूकने का इशारा किया गया। गाड़ी के रौशनी में वर्दी वाले को देखकर आप अपनी गाड़ी को तेज कर लिया। एस0सी0/एस0टी0 थानाध्यक्ष चन्द्रकिशोर टुड्डू अपने बल एवं गाड़ी एवं टाईगर मोबाईल दस्ता के साथ सरकारी वाहन से टाटा मैजिक का पीछा किया गया। एन0एच0–57 के पास कटिंग पर आपके टाटा मैजिक को बल के सहयोग से अपने घेरा में ले लिया गया। आप (टाटा मैजिक के चालक) अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गये। दो स्वतंत्र गवाहों 1. मखफुर जावेद, पे0–खुदादाद हुसैन, सा0–गैयारी, वार्ड न0–9, थाना–अररिया, जिला–अररिया एवं 2. फैयाज, पे0–मास्टर तानुद्दीन, सा0–तारण, वार्ड नं0–11, थाना–जोकीहाट, जिला–अररिया के समक्ष गाड़ी पर लदे सामान के सम्बन्ध में पूछने पर आपके (विजय साह) द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। स्वतंत्र गवाहों के समक्ष टाटा मैजिक की तलीश ली गई। गाड़ी में बारह कार्टुन, रोयल स्टेज विदेशी शराब प्रत्येक कार्टून में

अधिहरण वाद संख्या-99/2017-2018

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019		

एक-एक लीटर का 9 बोतल जिसका बेच नं0-0226/Sep16, एक कार्टून में रॉयल स्टेज विदेशी शराब 275 एम0एल0 का चौबीस बोतल बेच नं0-0213/ Sep16 कुल-117 लीटर, चार कार्टून कींग फीशर बीयर, जिसका बेच नं0-39, कुल-48 लीटर, जिसे आलू से छिपाया गया था, बरामद किया गया। जब्त शराब एवं टाटा मैजिक को जब्ती सूची बनाकर विधिवत् जब्त किया गया।

बिना किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र या पास के बिना किसी मादक द्रव्य का उत्पादन करना, स्वामित्व रखना, बिक्रय करना, वितरण करना, बोतल बंद करना, आयात करना, निर्यात करना, ढ़ोना आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप आपके विरूद्ध अररिया थाना कांड संख्या-702/16, दिनांक 17.10.16, धारा-272/273/34 भा0द0वि0 एवं 30/38 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया तथा आपको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त टाटा मैजिक से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त टाटा मैजिक राजसात होने योग्य है। जब्त टाटा मैजिक को राजसात किया जाय।

(4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्को तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से अधोहस्ताक्षरी को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी द्वारा जब्त टाटा मैजिक का अवैध शराब को ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त टाटा मैजिक बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार अररिया थाना कांड संख्या-702/16, दिनांक 17.10.16, में जब्त टाटा मैजिक रजिस्ट्रेशन संख्या-WB-59A9182, चेचीस संख्या-MAT445056CZF50623 एवं ईंजन संख्या-2751D106FXYSB6611 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत **राजसात** किया जाता है।

उक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया

समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 1036/विधि, अररिया, दिनांक 31.5/2019

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया/अधीक्षक, उत्पाद, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता, अररिया

25.05.2019

न्यायालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, अररिया (बिहार)